

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1. शेरगिरी पुत्र श्री सुखाराम वनाम 1. सुखाराम पुत्र सुखाराम भादि पाट

2. योगप्रसाद पुत्र श्री सुखाराम वनाम 2. रणधीर सिंह पुत्र सुखाराम

दावा बाबत :- 88/11/11 वनाम 3. निवासी देवी पुत्री सुखाराम भादि पाट निवासी रामगढी ज

मुकदमा नम्बर :- 88/20 वनाम

निर्णय दिनांक :- 05.10.21 वनाम

वादी की ओर से वकील सुभाष राय की व प्रतिवादी सं0 1/13 की

ओर से वकील रश्मि प्रसाद की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.10.21

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि रणधीर जी का 10 जजल के खाता सं0 11/10 के मु0 नं0

60 बितानं0 15, 20 जजल 0.506 है वही प्रसाद, पत्र 10 जजल

के खाता सं0 11/11 मु0 नं0 60 के बितानं0 21/11 की 0.164 है

वही व पत्र 10 जजल के 11/10 के मु0 नं0 34 के बितानं0

22 ता 25, मु0 नं0 35 बितानं0 21, 22 मु0 नं0 60 बितानं0 1, 2, 9 ता

12, मु0 नं0 61 बितानं0 2 ता 3, 12 ता 15, 17 ता 19 कुल 6.8310 है

वही प्रसाद नाम के नाम 6.660 है वही व

हमी प्रकार पत्र 12 जजल के खाता सं0 9/90 के मु0 नं0

23 बितानं0 3 ता 8, 13 ता 18, कुल 3.0360 है वही प्रसाद

प्रतिवादी सं0 1 के नाम रणधीर के में प्रतिवादी सं0 1 सुखाराम का नाम

सुखाराम बिसा पाट वारीगण शेरगिरी, योगप्रसाद व श्रीमती सं0 2

रणधीर को बटिस्ता कराट के खाते पर घोषित किए जाते हैं।  
शुद्धि प्रमाण व उने एकटिस्ता वारीगण व परिणाम सं0 2 के पक्ष लागू  
कर शुद्ध कर विषय है धर्मि विभा अमल पंजीयन शुद्ध अदा करने व  
शुद्धि शुद्धि रदन है तो रदन शुद्ध होने पर उपरोक्ता उलट शजस्व  
रिमोट उलट करे।  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।  
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) [Signature]  
R [Stamp]  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
(शिविर प्रभाती)  
भादरा (पंजाब) कैम्प कोर्ट (फास्ट ट्रैक) भादरा  
प्र.गा. के संग अ-2021  
कैम्प [Stamp]  
21/10/21